भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 564

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान की समस्या

564. श्री एस. जगतरक्षन:
डॉ. अमर सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त की कमी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विकास संभावनाओं को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की एक दीर्घकालिक समस्या असामयिक भुगतान है, जिसके कारण नकदी प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का भुगतान विलंबित होता है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) : वित्त की कमी, एमएसएमई क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सरकार ने एमएसएमई द्वारा वित्तपोषण की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:

- क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपए की सीमा तक का कोलेट्रल मुक्त ऋण। इस स्कीम की शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2000-01 से लेकर दिनांक 30.06.2024 तक, 6,78,326.81 करोड़ रुपए की कुल 91,76,248 गारंटियां जारी की गई हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। परियोजना लागत की 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से लेकर अब तक 9.69 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता प्रदान की गई है जिससे लगभग 79 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) : एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की शिकायतों को दायर करने तथा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों के पास इन उद्यमों की बकाया राशियों की मॉनीटरिंग करने के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) नामक एक पोर्टल की शुरुआत की थी। दिनांक 30.10.2017 को हुई इस पोर्टल की शुरुआत से लेकर दिनांक 22.07.2024 तक समाधान पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार लंबित आवेदनों में निहित राशि 21,583.7 करोड़ रुपए है। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	कुल लंबित (आवेदन+मामले)	बकाया राशि (आवेदन+मामलों में निहित) (करोड़ रुपए में)
1.	31.10.2017-31.03.2018	642	132.27
2.	2018-2019	1,662	650.44
3.	2019-2020	4,389	1,931.03
4.	2020-2021	9,092	3,562.74
5.	2021-2022	13,228	3,681.18
6.	2022-2023	14,902	3,746.11
7.	2023-2024	31,194	5,335.20
8.	01.04.2024-22.07.2024	14,701	2,544.73
कुल		**89,810**	**21,583.7**

मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लंबित भुगतानों के मामलों का निपटान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने लंबित भुगतानों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए और अधिक एमएसईएफसी की स्थापना करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है। अब तक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी की स्थापना के साथ 159 एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को अदा की जाने वाली बकाया राशि तथा मासिक भुगतानों की सूचना प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत संबंधी घोषणाओं के पश्चात दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल तैयार किया था।
- भारत सरकार ने 500 करोड़ अथवा उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों तथा सीपीएसई को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, जोकि विविध वित्तप्रदाताओं के जरिए व्यापार प्राप्य की छूट को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, पर उन्हें शामिल होने का भी निदेश दिया है।
- ऐसी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं तथा जिनका सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किया जाने वाला भुगतान वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या मानित स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है, उन्हें भी बकाया भुगतान राशि तथा विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास छमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

*****